



Neutral Citation No - 2026:AHC:24193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4208

शाह मोहम्मद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हर्ष श्रीवास्तव, मनीष

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत प्रारंभ की गई कार्यवाहियाँ अपील के चरण तक याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप से निर्णीत हो चुकी थीं। तर्क है कि तत्पश्चात् निजी प्रतिवादियों ने सर्वथा अवैध रूप से याचिकाकर्ता की सीमा-दीवार ध्वस्त कर दी, अतः याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2025 को प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, जौनपुर के समक्ष याचिकाकर्ता की सीमा-दीवार के पुनर्निर्माण की प्रार्थना सहित एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 7 के रूप में संलग्न है।

2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि इस संबंध में इस न्यायालय की समन्वयी पीठ द्वारा रिट-सी संख्या 35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य) में, जो दिनांक 18.12.2025 को निर्णीत हुई, विधि पहले ही सुस्थापित की जा चुकी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, वर्तमान याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित उप जिलाधिकारी के समक्ष, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत कार्यवाहियों में पारित आदेशों की छायाप्रति, रिट-सी संख्या 35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य) में पारित आदेश आदेश दिनांकित 18.12.2025 की छायाप्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति सहित समुचित आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है तो संबंधित उप जिलाधिकारी मीना देवी (उपरोक्त) के प्रकरण में किए गए प्रेक्षणों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"